

५८६.

मा १४८ १०-०६-२०

५०।

C.E (EKT)

प्रमुख अधिकारी
टोमो जिल्हा

३७

EE-I

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—५८८/ ॥।(1)/ २०-
१५(अधि०)/ ०५ टीसी०-१, दिनांक २९.०४.२०२० के हासा श्री अनिलद्व सिंह मण्डारी, अधिशारी
अभियन्ता (सिविल) को नियमित वयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता
(CE) (अधिकारी कुमार) (सिविल) सातवें वेतनमान के वेतन मेट्रिक्स लेवल-१३ (रु० १,१८,५०० से २,१४,१००) के पद पर
मुख्य अभियन्ता (अधिकारी) रूप से पदोन्नत करने के आदेश पारित किये गये हैं। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप
दिनांक २९.०४.२०२० में आशिक संशोधन करते हुये श्री अनिलद्व सिंह मण्डारी को अधीक्षण अभियन्ता
(सिविल) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन मेट्रिक्स लेवल-१३ में वेतन रु० १,१८,५०० से
२,१४,१०० के स्थान पर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक १२.०९.२०१७ के प्राविधान के अनुसार वेतन
मेट्रिक्स लेवल-१३ में वेतन रु० १,२३,१०० से २,१५,९०० एतद्वारा संशोधित किया जाता है।

2— शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक २९.०४.२०२० में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

१०७४
१०६-२०

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव

संख्या—७५५/ ॥।(1)/ २०-१५(अधि०)/ ०५ टीसी०-१, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्रहित—

१. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
२. अपर मुख्य सचिव/ सचिव, भा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
३. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
४. आयुक्त, कुमाऊँ/ गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
५. निजी सचिव मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
६. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
८. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-१/ स्तर-२, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
९. समस्त दरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
१०. निदेशक मुद्रण एव लेखन सामग्री, रुड़की को उपरोक्तानुसार गजट में प्रकाशनार्थ।
११. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
१२. लोक निर्माण अनुभाग-२/३,
१३. गाड़ फाइल।

आज्ञा से,
(दिनेश कुमार पुनेता)
अनु सचिव

३७ नं १०-०६-२०

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/ 20-15(अधिक) / 05 टीसी०-१
देहरादून, दिनांक मई, 2020
०९ ग्रन्ट
कार्यालय ज्ञाप

प्रमुख सचिव को लिखा गया है।
38)
EE-I
(CE/प्रमुख कुमार)
(अशोक कुमार)
सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु 1,18,500 से 2,14,100) के पद पर नियमित रूप से
प्रमुख अभियन्ता (सचिव)
में आंशिक संशोधन करते हुये श्री अनिल पांगती को अधीक्षण अभियन्ता (सचिव) के पद पर पदोन्नति
के फलस्वरूप वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में वेतन रु 1,18,500 से 2,14,100 के स्थान पर वित्त विभाग
के शासनादेश दिनांक 12.09.2017 के प्राविधान के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में वेतन
रु 1,23,100 से 2,15,900 एतद्वारा संशोधित किया जाता है।

2— शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.04.2020 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

1075
11-06-20

(रमेश कुमार सुधाशु)
सचिव

संख्या— 752 / III(1) / 20-15(अधिक) / 05 टीसी०-१, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, माठ मुख्यमंडी, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता रत्तर-१/स्तर-२, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लड़की को उपरोक्तानुसार गजाट में प्रकाशनार्थ।
11. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
12. लोक निर्माण अनुभाग-२/३,
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव

१०६.

५०३

C.8 (569)

प्रमुख अधिकारी
द्वारा दिया गया

(३) लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय झाप संख्या—569 / 111(1) / 20—
15(अधि०) / 05 टीसी०—१, दिनांक 29.04.2020 के द्वारा श्री जीवन सिंह हयांकी, अधिशासी अभियन्ता

(सिविल) को नियमित घयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)

(५) सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु 1,18,500 से 2,14,100) के पद पर नियमित रूप से

(६) अदेश पारित किये गये हैं। शासन के उपरोक्त कार्यालय झाप दिनांक 29.04.2020

मुख्य अभियन्ता (अधिकारी) में आशिक संशोधन करते हुये श्री जीवन सिंह हयांकी को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर

पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में वेतन रु 1,18,500 से 2,14,100 के स्थान पर

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 12.09.2017 के प्राविधान के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में

वेतन रु 1,23,100 से 2,15,900 एतद्वारा संशोधित किया जाता है।

2— शासन के उक्त कार्यालय झाप दिनांक 29.04.2020 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

1076

11-06-20

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव

संख्या—751 / III(1) / 20—15(अधि०) / 05 टीसी०—१, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अधिकारी स्तर-1 / स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक मुद्रण एवं लखन सामग्री, रुडकी को उपरोक्तानुसार गजट में प्रकाशनार्थ।
11. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
12. लोक निर्माण अनुभाग-2/3,
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(रमेश कुमार पुनेठ)
अनु सचिव

26.6.

M.D. 10-06-20

५०४

C.S. (E.H.)

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या— / III(1)/20-15(अधिक) / 05 टीसी०-१
देहरादून, दिनांक मई, 2020
०९ जून
कार्यालय ज्ञाप

(S) विभाग के लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—570 / III(1)/20-15(अधिक) / 05 टीसी०-१, दिनांक 29.04.2020 के द्वारा श्री रणजीत सिंह, अधिकारी अभियन्ता (सिविल) को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु 1,18,500 से 2,14,100) के पद पर नियमित रूप से (CE) प्रमोटेन्ट करने के आदेश पारित किये गये हैं। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.04.2020 (अशोक कुमार पुनेठा) से आशोक संशोधन करते हुये श्री रणजीत सिंह को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति मुख्य अभियन्ता के फलस्वरूप वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में वेतन रु 1,18,500 से 2,14,100 के स्थान पर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 12.09.2017 के प्राविधान के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में वेतन रु 1,23,100 से 2,15,900 एतद्वारा संशोधित किया जाता है।

2- शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.04.2020 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

1078
11-06-20

(रमेश कुमार सुधार्ण)
सचिव

संख्या— 753 / III(1)/20-15(अधिक) / 05 टीसी०-१, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव / सचिव, मारो मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की को उपरोक्तानुसार गजट में प्रकाशनार्थ।
11. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
12. लोक निर्माण अनुभाग-2/3,
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव

403

४०६

C.8 (44H)

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1

MD 10/06/20

संख्या— / III(1)/20-15(अधिक) / 05 टीसी०-१
देहरादून, दिनांक मई, 2020
०९ जून
कार्यालय ज्ञाप

36

प्रमाणित
दस्तावेज़ द्वारा
दिनांक २५.५.२०२०

EE-2
M (10/06/2020)
~~(CE) अधिक कुमार पुनेठा~~
~~(अधिकारी अधिकारी)~~ वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु 1,18,500 से 2,14,100) के पद पर नियमित रूप से मुख्य अभियन्ता करने के आदेश पारित किये गये हैं। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.04.2020 में आशिक संशोधन करते हुये श्री मुकेश सिंह परमार को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में वेतन रु 1,18,500 से 2,14,100 के स्थान पर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 12.09.2017 के प्राविधान के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में वेतन रु 1,23,100 से 2,15,900 एतद्वारा संशोधित किया जाता है।

SAC (040)
10/06/2020
EB 1
2— शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.04.2020 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

1077
11-06-20

(रमेश कुमार सुधार्ण)
सचिव

संख्या— 754 / III(1)/20-15(अधिक) / 05 टीसी०-१, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकड़ारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/ सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ/ गढ़वाल गण्डल, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/ स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निवेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुडकी को उपरोक्तानुसार गजट में प्रकाशनार्थ।
11. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
12. लोक निर्माण अनुभाग-2/3,
13. गार्ड फाईल।

आङ्गा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव

५६

C.E.(E)

लोक निर्माण अनुभाग
प्रमाण पत्र

(34)

E-E-T

(CE)

अधिकारी कुमार सुधाशु

मुख्य अधिकारी (अधिकारी)

580 (अवार)

10/6/2019

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या— / III(1)/20-15(अधिकारी) / 05 टीसी०-१

देहरादून, दिनांक मई, 2020

०९-५२८

कार्यालय ज्ञाप

मा. टी. १०-५६-२०

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-567 / 111(1) / 20-15(अधिकारी) / 05 टीसी०-१, दिनांक 29.04.2020 के द्वारा श्री महिपाल सिंह रावत, अधिकारी अधिकारी अधिकारी (सिविल) को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार प्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) सूतरे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु 1,18,500 से 2,14,100) के पद पर नियमित रूप से सूतरे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु 1,18,500 से 2,14,100) के पद पर नियमित रूप से आशिक संशोधन करते हुये श्री महिपाल सिंह रावत को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 12.09.2017 के प्राविधिक अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में वेतन रु 1,23,100 से 2,15,900 एतद्वारा संशोधित किया जाता है।

2- शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.04.2020 में उल्लिखित अन्य शर्त यथावत् रहेंगी।

1079
11-06-20

(रमेश कुमार सुधाशु)
सचिव

संख्या- 756 / III(1) / 20-15(अधिकारी) / 05 टीसी०-१, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समर्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की को उपरोक्तानुसार गजट में प्रकाशनार्थ।
11. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
12. लोक निर्माण अनुभाग-2/3,
13. गार्ड काइल।

आज्ञा से
(दिनेश कुमार पुनेठ)
अनु सचिव